मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192 | ई मेल–lkomdm@gmail.com

फोन नं0–0522–2308502 | Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 /C-2176 /2013–14 | दिनाँक : 06 सितम्बर, 2013

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आजमगढ़।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित मेन्यू में कढ़ी बनाने में इमली का प्रयोग वर्जित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को आपके जनपद के श्री रामानुज पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिलरियागंज, श्रीमती कमला देवी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बघैला, बिलरियागंज एवं श्री संजय गाँधी बाल विद्या मंदिर बघैला, बिलरियागंज में मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के उपरान्त छात्रों को चक्कर आने एवं सरदर्द की शिकायत होने के क्रम में आप द्वारा प्राधिकरण को प्रेषित आपकी आख्या में बताया गया है कि मध्यान्ह भोजन हेतु पकाई गई कढ़ी में बेसन तथा इमली का प्रयोग किया गया था। मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित मेन्यू में कढ़ी पकाने हेतु वांछित सामग्री हेतु साफ–साफ निर्देशित किया गया है कि बेसन एवं दही से कढ़ी निर्मित की जानी है। इमली के प्रयोग हेतु शासन स्तर से कोई निर्देश प्रसारित नहीं है।

अतएव कढ़ी पकाने में दही का प्रयोग ना कर इमली का प्रयोग किया जाना शासन के निर्देशों की अवहेलना है। दही से ऊर्जा एवं प्रोटीन जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, दही की जगह इमली के प्रयोग से उतनी ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा से छात्र वंचित रह जायेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन स्तर से मेन्यू संबंधी प्रसारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा कढ़ी पकाने में इमली का कदापि प्रयोग नहीं किया जाए।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद में उक्त प्रसारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।

(अमृता सोनी)

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192 | ई मेल–lkomdm@gmail.com

फोन नं0–0522–2308502 | Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 / C-2176 / 2013–14 दिनाँक 06 सितम्बर, 2013

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आजमगढ़।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित मेन्यू में कढ़ी बनाने में इमली का प्रयोग वर्जित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को आपके जनपद के श्री रामानुज पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिलरियागंज, श्रीमती कमला देवी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बघैला, बिलरियागंज एवं श्री संजय गाँधी बाल विद्या मंदिर बघैला, बिलरियागंज में मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के उपरान्त छात्रों को चक्कर आने एवं सरदर्द की शिकायत होने के क्रम में आप द्वारा प्राधिकरण को प्रेषित आपकी आख्या में बताया गया है कि मध्यान्ह भोजन हेतु पकाई गई कढ़ी में बेसन तथा इमली का प्रयोग किया गया था। मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित मेन्यू में कढ़ी पकाने हेतु वांछित सामग्री हेतु साफ–साफ निर्देशित किया गया है कि बेसन एवं दही से कढ़ी निर्मित की जानी है। इमली के प्रयोग हेतु शासन स्तर से कोई निर्देश प्रसारित नहीं है।

अतएव कढ़ी पकाने में दही का प्रयोग ना कर इमली का प्रयोग किया जाना शासन के निर्देशों की अवहेलना है। दही से ऊर्जा एवं प्रोटीन जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, दही की जगह इमली के प्रयोग से उतनी ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा से छात्र वंचित रह जायेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन स्तर से मेन्यू संबंधी प्रसारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा कढ़ी पकाने में इमली का कदापि प्रयोग नहीं किया जाए।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद में उक्त प्रसारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।

(अमृता सोनी)